

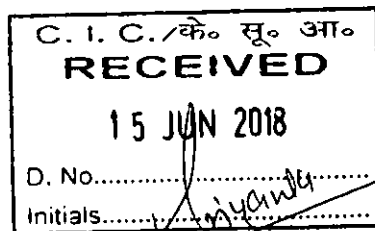
केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

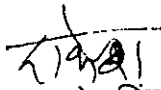
दिनांक: 14.06.2018

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60068
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50384
अपीलकर्ता : श्री अमर कुमार झा,
सैनिक निवास, सनिचरा स्थान,
मुशापुर, समस्तीपुर, बिहार - 848101.
निर्णय की तारीख: 14.06.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	29.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री एच. पी. सेन
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.06.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दस बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 28.05.2018 के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न आयोग के आदेश में आवेदनों का पूर्ण विवरण उपलब्ध है। आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के तहत दिनांक 31 जनवरी, 2018 को सुश्री मुन्नी झा के दो अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति के साक्ष्य की मांग की गई है, इस संदर्भ में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित एन.आई.सी. केन्द्र से अपीलकर्ता की उपस्थिति पंजी मंगवाकर यथाशीघ्र (अधिकतम इस आदेश की प्राप्ति के बीस कार्यदिवसों के अंदर) अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए। बिंदु सं. 3 से 10 तक प्रदान की गई सूचना उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है तथा द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानु रूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
- श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।


15/6/18